



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 233]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. 292(अ).—सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं संवितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उपधारा (2), धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके केंद्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), नियमावली, 2008 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

- (1) ये नियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), संशोधन नियम, 2017 कहलाएंगे।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग तथा लैबलिंग), नियमावली, 2008 में नियम 5 में उप-नियम (4) और (5) में निम्नलिखित परंतुकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“बशर्ते की उत्पादित सभी तंबाकू उत्पादों के लिए विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की दूसरी छवि (छवि 2) प्रभावी होने की तारीख 1 अप्रैल, 2016 से 12 माह पूरे होने के उपरांत होगी”।

[फा. सं. पी-16012/10/2016-पीएच-1]

अरुण कुमार झा, आर्थिक सलाहकार

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी और बाद में दिनांक 29 सितंबर, 2008 की सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 28 नवंबर, 2008 के सा.आ. 2814 (अ); 3 मार्च, 2009 के सा.का.नि. 305 (अ), 5 मार्च, 2010 के सा.का.नि. 176 (अ); 17 मई, 2010 की सा.का.नि. 411 (अ); 20 दिसंबर, 2010 के सा.का.नि. 985 (अ); 27 मई, 2011 के सा.का.नि. (अ); 26 जुलाई, 2011 के सा.का.नि. 570 (अ); 27 सितंबर, 2012 के सा.का.नि. 724 (अ); 15 अक्टूबर, 2015 के सा.का.नि. 727 (अ); 26 मार्च, 2015 के सा.का.नि. 228 (अ); तथा 24 सितंबर, 2015 के सा.का.नि. 739 (अ) अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया था।